COURT 1 Re. भारत ONE RU

R. 598-IV/2003

आवेदक - 1. तुलसीदास बाधवानी
2. जयकुमार बाधवानी
पुत्रगण स्वर्गीय सुंदरलाल बाधवानी
निवासी मकान नंबर 7 गंजीपुरा, जबलपुर
3. श्रीमती रेणु नंदवानी पत्नी श्री किशोर नंदवानी,
1243 बस डिपो नंबर-2 नर्मदा रोड, जबलपुर

विरुद्ध

दिनांक 9-4-03 को श्री [illegible] वर्मा [illegible] द्वारा प्रस्तुत।
9-4-03

अनावेदक - मध्यप्रदेश शासन

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर, पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कटेला द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 349/अ-6/01-02, में पारित आदेश दिनांक 17 मार्च सन् 2003.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 598–चार/03 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 349/अ–6/01–02 में पारित आदेश दिनांक 17–3–03 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई जिसका निराकरण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 8–5–03 को किया जाकर निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये हैं । 2/ अध्यक्ष, राजस्व मंडल के पत्र क्रमांक 1443 दिनांक 17–10–09 द्वारा इस प्रकरण को स्वमेव पुनरावलोकन में लिए जाने हेतु आदेश दिए गए । उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह प्रकरण स्वप्रेरणा पुनरावलोकन में लिया जाकर आवेदक को निम्न आशय का कारण बताओ सूचनापत्र जारी करने के आदेश दिए गए – 1/ नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 तथा नगर भूमि सीमा अधिनियम (निरसन अधिनियम)1999 जिसे आगे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । 2/ प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने पर भी राजस्व मंडल न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में गुणदोष पर सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया गया है । आदेश पत्रिका में यह भी कहा गया कि क्यों न राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–03 को स्वप्रेरणा से पुनरावलोकन में लेकर क्यों न निरस्त किया जाये । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित नहीं है क्योंकि आवेदकों द्वारा विचारण न्यायालय (तहसीलदार, नजूल)	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2000 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 4537/2000 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12–2–2002 को आदेश पारित करते हुए आवेदकगण को यह निर्देशित किया कि तहसीलदार, नजूल द्वारा पारित आदेश म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलनीय है इस कारण आवेदक अपनी रिट याचिका में उठाये गये आधारों/प्रश्नों के लिए राजस्व न्यायालय/राजस्व मंडल में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत अपील/निगरानी करने के लिए स्वतंत्र है । जिसके पालन में आवेदकों ने पहले अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की, जिसके निरस्त होने पर द्वितीय अपील संहिता की धारा 44 के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में की गई । अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील निरस्त किये जाने पर संहिता की धारा 50 के तहत यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । अतः प्रकरण को एवं प्रकरण में पारित अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को नगर भूमि सीमा अधिनियम के तहत मानना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवमानना है । उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि क्षेत्राधिकार न होने संबंधी आधार पर प्रकरण पुनरावलोकन में नहीं लिया जा सकता । ऐसे आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती देना चाहिए न कि रिव्यू करना चाहिए । आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. का स्कोप बहुत सीमित है । यह तर्क भी दिया गया कि किसी भी प्रकरण को पुनरावलोकन में लेने की म्याद 30 दिन है जबकि इस प्रकरण में स्वमेव पुनरावलोकन की कार्यवाही 9 वर्ष उपरांत प्रारंभ की गई है जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2009(1) एम.पी.एल.जे. 446 एवं 2010 (4) एम. पी.एल.जे. 178 (पूर्णपीठ उच्च न्यायालय) एवं अन्य अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायिक एवं विधिसम्मत बताते हुए जारी कारण बताओ सूचनापत्र को निरस्त कर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 598–चार/03 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्वप्रेरणा पुनरावलोकन समाप्त करने का निवेदन किया गया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका कमांक 4537/2000 में पारित आदेश दिनांक 12–2–200 का अवलोकन किया । उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय (तहसीलदार, नजूल) के आदेश दिनांक 6–7–2000 कोम0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत मानते हुए उक्त आदेश को अपीलीय माना है तथा आवेदक को यह निर्देश दिए हैं कि वह तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत अपील/निगरानी राजस्व न्यायालय/राजस्व मंडल में करने के लिए स्वतंत्र है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में पारित आदेशों को नगर भूमि सीमा अधिनियम के तहत मानना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी । दर्शित परिस्थिति में आवेदकों को जारी कारण बताओ सूचनापत्र निरस्त किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–2003 स्थिर रखते हुए आवेदकों के विरूद्ध प्रारंभ की गई स्वमेव पुनरावलोकन की कार्यवाही समाप्त की जाती है । सदस्य	